HK-HMS/2U/4.00

SHRI D. RAJA (CONTD.): What is the definition of private sector? I am asking all the political parties and I am asking the Parliament: What is private about private sector? They take loans from public sector banks; they take land; they take water; they take electricity at subsidized rates from the Government or free of cost from the Government. What is private about the private sector? But they will not follow any non-discriminatory recruitment policy; they will not follow the law of the land in any case. Why is this happening? That is why I would like to know whether the Government has political will or political determination to extend the reservation policy to private sector. It is the need of the hour. The Government should think on these lines. Why can't there be reservation in private sector? How to address the question of unemployment and under-employment and how to protect the interests of socially discriminated sections in our society? That should be our approach. ...(Interruptions)... Right to education, all right, is given. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(Interruptions)... Your time is over. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, I can understand. But I am speaking on this issue with agony. The future of our young people is uncertain and very bleak. How are we going to build a new India? They talk about new India. To whom does that new India belong? That new India belongs to our young people and their future is uncertain. The future belongs to youth. Youth is our future. How are we addressing the young people's burning problem, that is, unemployment and under-employment? Here, Government should be very sensitive and the Government should make some serious efforts. This Bill, in fact, suggests the Government to agree to make right to employment a fundamental right. This is what we are demanding. The Government should think over it. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Ram Kumar Kashyap to speak. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, चौधरी मुनव्वर सलीम को भी सुन लीजिए। He is on the wheel chair. इनका नाम कॉल किया गया था। ..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद अली खान : सर, सुन लीजिए। आप बीच में Government Business के लिए टाइम दे देते हैं, उसी प्रकार इन को भी दे दीजिए।

جناب محمد علی خان: سر، سن لیجئے۔ آپ بیچ میں Government Business کے لئے ٹائم دیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی دے دیجئے۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have a problem doing this. ...(Interruptions)... What do I do? ...(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: He has specially come for that. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? ...(Interruptions)... No, please. ...(Interruptions)...

There is a serious problem for that. ...(Interruptions)... There is a serious problem. ...(Interruptions)..

SHRI NEERAJ SHEKHAR: He has specially come for this. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; that can't be done. ...(Interruptions)... No, please. ...(Interruptions)... It is a Private Members' Business. In the Private Members' Business, I cannot allow any other Business. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : सर, Zero Hour में शुरू हुआ है। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : Zero Hour में हो सकता है, Government Business में हो सकता है, but, now, it cannot be done. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: All the Members agree for this. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not the question of Members. We go by Rules, not by Members only. ...(Interruptions)... We have to go by Rules. ...(Interruptions)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, he is on the wheel chair. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do know how it can be done. ...(Interruptions).. The point is that tomorrow another person will come and demand. ...(Interruptions)... You are asking me to set a very wrong precedence. ...(Interruptions)... You are asking me to set a very wrong precedence. ...(Interruptions)... I have all sympathy for him; he is my good friend. He is my good friend. What do I do? ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: When all the Members agree, you can agree. ...(Interruptions)... Precedents are often made under extraordinary circumstances. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the extraordinary circumstance? ...(Interruptions)... What is the extraordinary circumstance? ...(Interruptions)... One Member chooses his time and comes here. He could have come at 5.00 p.m. He is my good friend; he is my best friend. I

am telling you. उन्हें 5 बजे आना चाहिए था, लेकिन वे अभी आए। अभी आने के लिए किसने कहा? उन्हें 5 बजे आना था।

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: He is on the wheel chair. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can I act like that? ...(Interruptions)... I am the custodian of the Rules also. I have to protect the Rules. See, one Member, my good friend, chooses his time and comes and asks me to allow him now during the Private Members' Business!

(2 डबल्यू/एएससी पर आगे)

ASC-KSK/2W/4.05

श्री उपसभापति (क्रमागत) : इनको पांच बजे आना चाहिए था। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will he be allowed at 5 o'clock?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Definitely. पांच बजे पहला नाम। ..(व्यवधान).... वे इस सदन के मेम्बर हैं, उनको वहां पर बैठाइए। अगर उनको कुछ पीना है, तो दे दो। वे tired हैं, सब ठीक है, लेकिन ...(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: You are right, Sir. It is okay. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is my best friend, but still there is a problem in doing that. Tomorrow, Jairam Rameshji will ask a favour for him.

SHRI JAIRAM RAMESH: Never, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the guarantee?

SHRI JAIRAM RAMESH: It is an extraordinary circumstance. He can't...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not an extraordinary circumstance. He came in wheelchair. That's all. That is not extraordinary. So many people are in wheelchair. That is not extraordinary.

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, he was in hospital for the last six months. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Please, look at him, Sir. ...(Interruptions)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: It is okay. It is over, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, in that case, Mr. Minister, what do you say? Do you also agree? I don't know, I am committing a mistake.

श्री विजय गोयल: यह सदन ....(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, don't do it. He will come at 5 o'clock.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you agree on that. मुनव्वर जी, बहुत अच्छा है, नहीं तो I have my conscience that I am breaking a rule. It is never done. ...(Interruptions)... आप सहमत हैं? ठीक है, धन्यवाद। ....(व्यवधान)... पांच बजे। It is a matter of only one hour. पांच बजे। अगर उनको चाय चाहिए, तो बाहर जाकर चाय पिला दीजिए। बाहर वेट करिए, उनको चाय पिला दीजिए। ...(व्यवधान)...

बाहर चाय है, उधर बोल देना। अंदर चाय नहीं मिलेगी। ....(व्यवधान)...बाहर से चाय पिलाइए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : सर, आप बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ram Kumar Kashyap, not present. Shrimati Chhaya Verma. You have only five minutes.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मैं निषाद जी के इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं कि वे बेरोजगारों के लिए इतना अच्छा बिल लाए, जिससे देश के बेरोजगारों का हित होगा।

इधर की तरफ बैठने वालों ने सरकार बनाने से पहले दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और वर्ष 2022 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। 08 नवम्बर, 2016 के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियां छिन गईं। इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण 15 से 20 लोगों का रोजगार छिन गया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की दुर्दशा और बढ़ गई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी नौकरी मिलना तो छोड़िए, निजी क्षेत्र की नौकरियां लोग कैसे बचाएं, कर्मचारी इस उधेड़बुन में लगे हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों का अकाल है। देश के लोगों में योग्यता होते हुए भी वे बोरोज़गार हैं और घर में बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं।

महोदय, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि 15 सितम्बर को चपरासी के लिए 64 पदों की भर्ती के लिए 23,00,000 लोगों ने आवेदन किया, तो उनमें 255 पी.एच.डी. वाले लोग थे। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोगों की क्या स्थिति है? उधर की तरफ वाले साथी अभी 'मनरेगा' की दुहाई दे रहे थे। मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार 'मनरेगा' के काम में भी 18 परसेंट जीएसटी काट रही है। आप मेरी तरफ इस तरह से मत देखिए, क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ हैं। मजदूरों के मजदूरी भुगतान में 18 परसेंट जीएसटी काटौती की जा रही है। एक दिन मैंने चिदम्बरम जी से पूछा कि क्या मजदूरों की मजदूरी में भी जीएसटी लगता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इस बात को किसी दूसरे विषय पर बोलते हुए भी उठाया है और सदन न चलने के कारण वह मुद्दा उठाया नहीं जा सका, लेकिन आज निषाद जी के बिल के कारण मैं यह मुद्दा सदन में रख रही हूं। हमारे देश के बेरोजगारों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उनके साथ एक प्रकार से मजाक हो रहा है।

(2x/KLG पर जारी)

KLG-SK/2X/4.10

श्रीमती छाया वर्मा (क्रमागत) : मेक इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं में आप नौजवानों को स्किल्ड तो बना रहे हैं, उनको कुशल श्रमिक तो बना रहे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रेलवे अप्रेंटिस और आईटीआई सर्टिफिकेट धारक सड़कों पर रोजगार के लिए धरना, प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं और इनमें से कइयों ने आत्महत्या की ओर कदम उठाए हैं,

लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे अप्रेंटिस बच्चों को रोजगार देने से मना कर दिया गया है। रेल मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, जो अभी नहीं हैं। रेलवे में 2000 पद अप्रेंटिसों के खाली हैं, लेकिन वहां पर अप्रेंटिस किए हुए कुशल श्रमिकों में से एक को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियर्स भी इस देश में बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए मंत्रालय कोई कदम नहीं उठा रहा है। आज हर चीज में ऑनलाइन की बात होती है। जब बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात आती है, तो ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण का कहीं कुछ नहीं दिखता है। यह एक झुनझुना थमाने वाली बात हो रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छत्तीसगढ़ में दो साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।

महोदय, बेरोजगारी से आतंकवाद पनपता है। हमारे देश के बेरोजगार युवा गलत कदम उठाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। आजकल जो भी नौकरी मिल रही है, खाली उनमें संविदा भर्ती हो रही है। जब कोई पद रिक्त होता है, तो उसमें परमानेंट नौकरी देनी चाहिए, लेकिन सरकार संविदा भर्ती करती है, चाहे जो भी पद हो, हर पद में संविदा भर्ती होती है। इस तरह बेरोजगारों के साथ, पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और संविदा के नाम पर कम पैसों में उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। इस संविदा भर्ती में बिचौलियों और चंद लोगों की चांदी होती है और बेरोजगारों का शोषण होता है। यह बेरोजगारों की बेबसी को दर्शाता है। जहां कहीं कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, वहां बेरोजगारों को स्थाई नौकरी दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए और यह काम एक समय-सीमा के तहत होना

चाहिए। बेरोजगारों के दुख-दर्द के साथ यूं ही खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब किसी अमुक पद से कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उस रिक्त पद पर पहले स्थाई नियुक्ति कर ली जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, जो योग्यता होते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे सरकारी नौकरी पाने की जो उम्र की एक समय-सीमा होती है, उसे पार कर चुके होते हैं। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसके तहत सरकारी नौकरी पाने की उम्र की समय-सीमा न हो, वह समाप्त हो जाए, जिससे बेरोजगार व्यक्ति की योग्यता उसकी उम्र की समय-सीमा के कारण अयोग्य न हो? सरकारी नौकरी पाने की उम्र की यह समय-सीमा बाध्यकारी कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि सरकार बेरोजगारों के मामले में सार्थक पहल करे और इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन की बात कही गई है, उसे अमली जामा पहनाने हेतु अविलंब कदम उठाया जाए।

(समाप्त)

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, ऑनरेबल मेम्बर निषाद जी ने जो विधेयक पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस बिल में उन्होंने एक प्रोविजन के लिए कहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। ऊपर-ऊपर से देखने में तो यह सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें भत्ता मिले, लेकिन सवाल यह है कि जिस वर्ग को हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वह उनके लिए मदद होगी या हम उनकी परेशानियां बढ़ाएंगे? कहीं हम उनकी मानसिकता तो नहीं बिगाड़ेंगे या

उन्हें पंगु तो नहीं बनाएंगे। हमारा युवा वर्ग, जो काम करने के लिए तरस रहा है, बेरोजगारी भत्ता पाने के बाद क्या वह काम करने के लिए सक्षम बनेगा? हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हम उनकी परेशानी बढ़ाएंगे, जो एक ईज़ी मनी उन्हें मिलेगा। एक मां जब अपने बेटे को पैसे देती है तो वह यह भी देखती है कि उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन यहां जो बच्चे 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, वे तम्बाकू, सिगरेट, शराब की ओर भी जा सकते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ सकती है।

(2वाई/एकेजी पर जारी)

AKG-YSR/2Y/4.15

डा. विकास महात्मे (क्रमागत) : इसलिए मुझे लगता है कि हम जो भी काम करें, बेरोजगारी भत्ता कह कर हम जो भी पैसा देना चाहते हैं, वही पैसा हम कुछ ऐसे use में लाएँ, ताकि उनकी सक्षमता बढ़े। अभी 10वीं/12वीं पास या इंजीनियर, सभी degree holders को लगता है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद job मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि education इसके लिए नहीं है, बल्कि education इसलिए है कि हमारी thinking, हमारी सोच, यह हम कैसे करते हैं। इससे हमें पूरे विषय के बारे में जानकारी मिलती है।

सर, ऑनरेबल मेम्बर ने एक उदाहरण दिया कि जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह कमाता है, चोरी करके कमाता है और एक इंजीनियर कुछ भी नहीं कमा सकता। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में थोड़ा सोचना चाहिए कि जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसने एक

कौशल्य लिया है, शायद वह गलत तरीके से लिया होगा, लेकिन उसके पास एक कौशल्य है, जो उस पढ़े-लिखे आदमी के पास कोई भी कौशल्य नहीं है, यह बहुत बड़ी कमी है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। कौशल्य के बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। पहली बार मोदी सरकार ने कौशल्य विकास के लिए खास अलग मंत्रालय तैयार किया है और वह बहुत जरूरी है। मैं कौशल्य के बारे में बताता हूँ कि मैं एक eye specialist हूँ, डॉक्टर हूँ। Final year में M.S. में मेरा examination हुआ, theory examination हुआ, practical में viva-voce हुआ, मुझसे सिर्फ पूछा गया और मुझे जो डिग्री मिली, वह Master of Surgery मिली, जिसमें किसी ने मेरी surgery नहीं देखी, लेकिन मुझे Master of Surgeon की डिग्री दे दी। अब मैं बाहर जाऊँगा, तो कोई मुझसे operation नहीं करवाएगा, लेकिन मुझे government job मिल सकती है। यह जो फर्क है कि सिर्फ डिग्री से हमें नौकरी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। उसके साथ कुशलता, कौशल्य बहुत जरूरी है। इस कौशल्य पर जोर मोदी सरकार ने दिया है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हम यह सोचते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन आज यह बेरोजगारी कम हो रही है। व्यवसाय ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि 10वीं/12वीं पास होने के बाद भी व्यवसाय हो सकता है। इतनी अधिक बेरोजगारी है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या आज हमें ड्राइवर जल्दी मिल सकता है ; यदि हमें कुक चाहिए, तो क्या हमें वह कुक जल्दी मिल सकता है? नहीं, यह कुशलता हमने इतने सालों में किसी को नहीं दी है। यह कुशलता देने में

जो 'कौशल्य विकास योजना ' है, वह काफी प्रभावी है। जैसे 'National Skill Development Mission' है, 'प्रधान मंत्री कौशल्य विकास योजना ' है। इसके अलावा 'National Policy for Skill Development and Entrepreneurship' है, 'Rural India Skill' है, यह बहुत जरूरी है। इन्हें इस सरकार ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि कौशल्य विकास होने के बाद लोग खुद व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हम कहते हैं कि डिग्री मिलने के बाद उसे काम मिलना चाहिए, लेकिन डिग्री का मतलब सिर्फ काम मिले, ऐसा नहीं है, वह खुद का व्यवसाय शुरू करे। इसलिए उसको कौशल्य देना बहुत जरूरी है। उस दिशा में इस सरकार का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ ड्राइवर, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, सैलून, गारमेंट, काउंसिलर, जो समझा सकता है, इनके अलावा acupressure, paramedicals, इतनी सारी skills हैं और इनसे भी ज्यादा skills की कई सारी योजनाएँ हैं। हमें इनका लाभ उन तक पहुँचाना है और हमें 'Skill India', नया इंडिया बनाना है। जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो वह व्यवसाय करे, हर बार वह नौकरी की तलाश क्यों करे? जो खुद को बेरोजगार कहता है, वह व्यवसाय शुरू करके दूसरे लोगों को नौकरी दे सकता है। ...(समय की घंटी)... इसके अलावा मुद्रा योजना भी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

डा. विकास महात्मे : इसके तहत भी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन मिल सकता है। लोगों ने इसका फायदा उठाया है। हर बार नौकरी माँगने की बजाय हम व्यवसाय या कोई इंडस्ट्री शुरू करने की कोशिश करें। जैसे 'Startup India' का भी प्रोग्राम है। मुझे

ऐसा लगता है कि यदि हम यह सब सोचते हैं, तो हम 'Skill India' को आगे बढ़ाएँ और जो भी डिग्री लेता है, उसके बाद internship type कोर्स के द्वारा हर डिग्री के बाद हम उसमें कौशल्य भर दें, तो हम उसको बेरोजगार न बना कर, व्यावसायिक बना कर अच्छा काम कर सकते हैं। यह पैसा उसके लिए खर्च हो।

इसलिए मुझे लगता है कि बेरोजगारी भत्ता लोगों को, युवकों को गुमराह करने के लिए होगा। इससे वे खर्रा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि में जाएँगे, क्योंकि वह easy money है। इसलिए मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ और मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। धन्यवाद।

(समाप्त)

(2जेड/एससीएच पर आगे)

SCH-VKK/4.20/2Z

श्री उपसभापति : श्री नीरज शेखर। नीरज जी, आपकी पार्टी के पास टाइम नहीं बचा है, आप सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं अपने नेता श्री विशम्भर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 'काम का अधिकार' के संबंध में वे प्राइवेट मेम्बर बिल लाए हैं और इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। आज हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, वह unemployment की है। बेरोज़गार नौजवानों की संख्या इस देश में हर साल बढ़ती जा रही है। यह समस्या आने वाले समय में कितना विकराल रूप ले लेगी, इसकी आशंका हम सभी को है, चाहे वे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के सदस्य हों।

यह समस्या बहुत अधिक भयंकर होती जा रही है। जब कभी भी मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, तो देखता हूं कि वहां नौजवान पढ़-लिख कर बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनको आशा थी कि जब हम पढ़-लिख लेंगे, तो अपने परिवार को चलाएंगे, लेकिन वे दिन -रात दौड़ते हैं, फिर भी उनको कोई काम नहीं मिलता है।

महोदय, कई नौजवान हम लोगों के पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास B.Tech किए हुए बच्चों की कम से कम 200-300 एप्लिकेशंस रखी हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। कुछ बच्चों ने MBA किया है, जो बेरोज़गार हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)... सर, क्या मैं उनको आपके पास भेज दूं? उनको मैं कहां पर भेजूं? ...(व्यवधान)... कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में नौकरी का आवेदन निकला था, जहां 400 स्थान रिक्त थे, उसके लिए 26 लाख लोगों ने एप्लिकेशंस दीं, जिनमें से कुछ लोग Ph.D किए हुए थे और कुछ लोगों ने CA किया था। वहां Class IV के लिए जो वेकेंसी निकली थी, उसके लिए भी 24 लाख लोगों ने एप्लिकेशंस दीं। बेरोज़गारी की समस्या आज इतनी गंभीर हो चुकी है और हमारे माननीय मंत्री जी इसको मज़ाक में उड़ा रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर : माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर मसला है, आप मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)... आप बाद में बोलिएगा, हर चीज़ मज़ाक में नहीं लेनी चाहिए। यह देश के नौजवानों का मामला है।...(व्यवधान)... आप मंत्री हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, please don't interrupt. ...(Interruptions)...

श्री रामदास अठावले : अगर आपके पास ऐसे नौजवान हैं, तो उनको आप हमारे पास भेज दीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, I am not yielding. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...(Interruptions)... आप बैठिए, वे यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप बैठिए।...(व्यवधान)..

श्री रामदास अठावले : मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप बैठिए।...(व्यवधान).. Mr. Minister, please do not interrupt. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना संकल्प पत्र रखा था, उसमें कहा गया था कि दो करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यह थोड़े ही कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी, हम लोग तो बाकी के लोगों को ऐसा बना देना चाहते हैं, ताकि वे नौकरी दे सकें। मैं इस जुमले वाली सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये लोग इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करते? यदि नौकरी दे नहीं सकते थे, तो इन्होंने यह क्यों कहा कि दो करोड़ नौकरयां देंगे? अब ये लोग कह रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वे लोग नौकरी दे सकें। यह हम नई चीज़ सुन रहे हैं। जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हर बार उसका एक नया जवाब आ जाता है, एक नया स्लोगन आ जाता है।

महोदय, आज इस देश का नौजवान मांग कर रहा है कि मुझे नौकरी दी जाए। वह समय दूर नहीं है, जब वह नौजवान सड़कों पर उतर आएगा। वह नौजवान आप सबसे, इस सदन के सभी लोगों से यह प्रश्न पूछेगा कि आप लोगों ने हमें पढ़ाया क्यों? नौजवान आज खेती से भाग रहा है, क्योंकि खेती में उसको कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। वह अपने मां-बाप को दिन-रात देखता है कि वे परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद उनको अपनी लागत तक भी नहीं मिलती है। इसीलिए किसान का बेटा आज खेती न करके नौकरी ढूंढ़ता है। वह पढ़ता-लिखता है, उसका बाप उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती। आज नौजवानों की जो समस्या है, हम लोगों को उसे देखना चाहिए, लेकिन इस सरकार को कोई अन्य समस्या मिल जाती है। हम लोगों को नौजवानों के लिए काम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए।

महोदय, हमसे कहा जाता है कि कौशल विकास के अंतर्गत नए आईटीआई शुरू किए गए हैं। अभी हमारे माननीय मित्र बोल रहे थे कि ड्राइवर कहां मिलते हैं? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने कौशल विकास के केन्द्र खुल चुके हैं? उनमें कितने लोग आए हैं? उनको कितनी नौकरियां मिली हैं? माननीय मंत्री जी मेरे इन सवालों का जवाब बता दें। आप कहते हैं कि हम उनको विदेश भेजेंगे। क्या किसी को अभी तक कोई नौकरी मिली है? आज अगर आप ड्राइवर ढूंढ़ने जाएं, तो कितने ही ड्राइवर यहां घूम रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूं। बलिया से, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के राज्यों से बेचारे नौजवान यहां आते हैं और काम कर रहे हैं। आज

जरूरत इस बात की है कि गांवों में उनको रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। इसके बारे में बात की जाए, लेकिन यहां बातें कुछ और ही होती हैं। कभी कोई संविधान संशोधन पास किया जा रहा है, कभी कोई किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से Right to Employment के बारे में अभी तक कोई विधेयक क्यों नहीं आया है?

(3A-RPM पर जारी)

RPM-RL/3A/4.25

श्री नीरज शेखर (क्रमागत) : महोदय, यह जरूरी है कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। आज देश का नौजवान इस हद तक पहुंच गया है कि वह अपने घर को चलाने के लिए अपने अंग बेच रहा है। ...(व्यवधान)... वह नौजवान अपने अंग बेच रहा है, ताकि वह अपने परिवार को चला सके। आज किसान इसलिए भी आत्महत्या कर रहा है कि उसने अपनी जमीन के ऊपर कर्जा लेकर और अपने ट्रैक्टर को बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन अब उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नौजवान क्यों आत्महत्या कर रहा है, इसलिए कि इतना पढ़-लिख कर वह हतोत्साहित हो गया है और वह सोच रहा है कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अत : मैं चाहता हूं कि इस विषय को सरकार जरा ध्यान से देखे और जो बिल हमारे माननीय सदस्य लाए हैं, उस पर विचार करे और सोचे। मैं तो अपने सांसद जी से मांग करूंगा कि वे यह देखें कि इस पर आज फैसला हो जाए और आज इस पर वोटिंग हो और तय किया जाए कि इसका क्या परिणाम है? आज इस सदन में यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर सरकार क्या चाहती है। मैं तो आग्रह करूंगा कि...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is all. ...(Time Bell)... Okay, please. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का समय नहीं था, फिर भी आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी ओर से यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर जरूर वोटिंग कराए। (समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is Shri Ramkumar Verma speaking? Are you speaking?

SHRI RAMKUMAR VERMA: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, take only five minutes because the time is over.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसी के साथ हमारे ऑनरेबल मेम्बर, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्राइवेट बिल के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि उन्होंने देश के हमारे लोकप्रिय और युवाओं के शुभचिन्तक प्रधान मंत्री, जब से इस देश में प्रधान मंत्री के रूप में आए, उनकी चिन्ता में वे शरीक हुए हैं। निषाद साहब ने यह कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग किस प्रकार से असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है, आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है और अपराधी

प्रवृत्तियां उसमें आ रही हैं। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हैं। मैं यह कह सकता हूं कि बेरोजगारी के कारण युवाओं में निश्चित रूप से कहीं न कहीं निराशा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश की 70 वर्ष की आजादी के बाद भी आज देश के युवा वर्ग में भयानक रूप से बेरोजगारी प्रकट हो रही है और उसका निदान नहीं हो रहा है, इसमें भी सत्यता है।

महोदय, देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और उसे लागू हुए भी लगभग 67 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भारत की बेरोजगारी दूर नहीं हुई। भारत के संविधान को उसके निर्माताओं ने जिस भावना और जिस सोच से बनाया, उसे देखकर लगता है कि भारत के संविधान को बहुत सोच-समझ कर बनाया गया था। उसमें उन्होंने हर पहलू को सम्मिलित किया है। यदि हम इसके Preamble को देखें, तो उसमें सारी चीजें समायोजित हो जाती हैं। हमें पूरे संविधान के विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी यह उल्लेख किया गया था कि भारत एक प्रभुत्वसंपन्न गणतंत्र देश तो होगा, लेकिन मौलिक अधिकारों को भी प्रिएम्बल में दर्शाया गया है। देश right to equality, opportunity, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा।

महोदय, निषाद साहब ने यह जरूर बताया कि इन कारणों से अपराध हो रहे है। अच्छा होता, यदि इन कारणों के उत्पन्न होने के बारे में भी वे बताते कि ये कारण क्यों उत्पन्न हुए हैं। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि 70 वर्ष की आजादी के बाद और भारत के संविधान में जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो वे

भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिए गए हैं। यदि हम प्रिएम्बल की बात करते हैं, तो आप देखें , उस वक्त के मुकाबले अब 465 आर्टिकल हो गए हैं। पहले इसके 22 खंड थे और आज उसके 24-25 खंड हैं। 12 सूचियां हो गई हैं और एक से एक अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। उसमें यदि हम देखें, तो पाएंगे कि बहुत सारे अमेंडमेंट गरीबों के लिए भी हुए हैं। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जिनके बारे में अभी हमारे डी.राजा और एक माननीय सदस्या ने भी बात कही कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग अभी भी न्याय के मामले में पिछड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज बेरोजगारी ने युवाओं को निराश कर रखा है।

(3बी/पीएसवी पर जारी)

PSV-DC/3B/4.30

श्री रामकुमार वर्मा (क्रमागत): लेकिन बेराजगारी का कारण यह रहा है कि हम राजनीतिक पार्टियों ने भी और तत्कालीन सरकार ने भी 1950 के बाद, संविधान लागू होने के बाद, जो प्रोविजंस दिये, उनके अन्दर सारा कुछ था, लेकिन जरूरत यह थी कि हम उनको सही ढंग से क्रियान्वित करते। जब 26 नवम्बर, 1949 को chief architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar साहब ने संविधान को सुपुर्द किया था, ...(समय की घंटी)... तो उन्होंने उस समय यह कहा था कि संविधान अच्छा है, बुरा नहीं है। ...(समय की घंटी)... डिपेंड इस पर करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामकुमार वर्मा: अगर इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो निश्चित है कि यह संविधान लाभदायक होगा। इसमें जो मैक्सिमम था, वह देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए था, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए था। आज मैं इस अवसर पर अधिक न कह कर यही कहूँगा कि निषाद साहब, आपने यह बिल पेश किया है। बिल के लिए, युवाओं के लिए आपकी जो संवेदना है, बहुत बढ़िया है।

श्री नीरज शेखर: अधिकार ही नहीं है। ...(व्यवधान)... अधिकार पर बात करिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामकुमार वर्मा: अधिकार की तो बात हो गई है। ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: मैं यह कहूँगा कि आज भारत सरकार के ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। थोड़ा सुनिए। ...(व्यवधान)... टाइम बहुत कम है। ...(व्यवधान)...

मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह सत्यता है कि आज भारत सरकार ने और भारत सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, इस देश के युवाओं के लिए, जोकि अभी 65 प्रतिशत युवा वर्ग है, जो निराशा में था ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)... All right. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: मैं यह कहूँगा कि अगर कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति-- जब जन-धन अकाउंट की योजना चालू की गई, तो 29 करोड़ लोग उससे जुड़े।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: उसका फायदा किसको मिला?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: सर, एक मिनट। बस एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा। करोड़ों लोग जब डिजिटल के माध्यम से -- मनरेगा जैसी स्कीम, जो मृतप्राय हो गयी थी, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि उसके द्वारा कार्य किये जाने वाले, unproductivity के रूप में थे, लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास और भारत सरकार के प्रयास से, आज मनरेगा के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से जो पैसा उस मजदूर को मिल रहा है, तो उत्पादकता बढ़ रही है, वह विकास कार्यों के अन्दर लग रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैं कहता हूँ कि चाहे वह भारत सरकार की मुद्रा योजना हो, स्टैंड-अप योजना हो, स्टार्ट-अप योजना हो ...(व्यवधान)... किसानों के लिए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(Interruptions)... Hon. Minister ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्माः हमारे किसान कृषि पर डिपेंड करते हैं। किसानों के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं...(व्यवधान)... उनसे जो कृषि पर डिपेंडेंट हैं, ...(व्यवधान)... उनकी संख्या कम होगी। ...(समय की घंटी)... धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude. ...(Interruptions)... Hon. Minister can reply now. ...(Interruptions)... Hon. Minister can speak now.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने..

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः उपसभापति जी, मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए। ...(व्यवधान)... मैंने तो थोड़ा सा ही बोला था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः नहीं, आपका रिप्लाई इसके बाद होगा। ...(व्यवधान)... क्योंकि आपको अभी यह भी सुनना है और इसका भी रिप्लाई आपको देना है। ...(व्यवधान)...

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, मैं अपने भाई, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को इस बात के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का और देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में इस समय देश की आवश्यकता है कि रोजगार के अच्छे अवसर मिलें और लोगों को रोजगार मिले।

हम इतना कह सकते हैं कि पिछले 3 साल से, जब से हमारी सरकार आई है, इस दिशा में इतनी अधिक चिन्ता से काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप आर्टिकल 16ए को सम्मिलित कराने का प्रस्ताव कर रहे हैं-- अभी हमारे 10 अन्य माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। मैंने सबकी बातों को पूरी गम्भीरता के साथ सुनकर, उसमें जो कुछ कर सकता हूँ, उसके हिसाब से तय किया है कि हम अपने विभाग के माध्यम से क्या कर सकते हैं।

वर्तमान में संविधान में 'राइट टू वर्क ' एक मौलिक अधिकार नहीं है। हालाँकि संविधान के नीतिनिर्देशक तत्व में, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 41 में ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाये, जिनसे इसके समस्त नागरिकों को जीवनयापन का पर्याप्त अवसर मिले। हालाँकि नीतिनिर्देशक तत्व enforceable नहीं हैं, परन्तु इससे सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी कम नहीं होती है, ऐसा हम समझते हैं और हम उस चिन्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं।

(3सी/वीएनके पर जारी)

VNK-KS/3C/4.35

श्री संतोष कुमार गंगवार (क्रमागत) : कई माननीय सांसदों ने अपने क्षेत्र, अपने निकट के क्षेत्र तथा इस समय देश में जो चल रहा है, उस संदर्भ में जो चिंता व्यक्त की है, उस संबंध में मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, वे सारी बातें अब धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं

सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार ने देश के चहुंमुखी विकास के लिए कई प्रकार के नेशनल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और उन सभी नेशनल प्रोग्राम्स से देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ये सभी प्रोग्राम्स रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं और यह सबको दिखाई भी दे रहा है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया आदि ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनसे रोजगार का सृजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में बहुत तेजी से देश के अंदर सड़कों का भी जाल बिछ रहा है। इस संदर्भ में अभी हमारी केबिनेट ने लगभग 7 लाख करोड़ के निवेश से लगभग 83 हजार किलोमीटर सड़क के विस्तार का निर्णय लिया है। इस आर्थिक प्रोत्साहन से 5 वर्षों में लगभग 32 करोड़ मैन डेज़ का सृजन हो रहा है और इसके अलावा चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो या एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, देश को इस हिसाब से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान सरकार की स्वरोजगार की योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है और मैं ऐसा समझता हूँ कि देश के जिस हिस्से में भी हम जाते हैं, तो हमें इसके प्रति बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और लोग इसकी जानकारी देते हैं। महोदय, इस योजना के तहत 2015-16 में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपए के टारगेट के मुकाबले 1 लाख 32

हजार करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया। दूसरे वर्ष यानी 2016-17 में लगभग 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया, जो टारगेट से कहीं अधिक था। इस वर्ष भी अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन बिना किसी गारंटी या collateral security के छोटे-छोटे उद्यमियों को दिया गया। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण साढ़े नौ लाख करोड़ से अधिक खातों में दिया गया है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत नए उद्यमियों को काम करने के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपए उनके 2.69 करोड़ खातों में दिए गए। इस स्कीम से कितने रोजगार का सृजन हुआ? जब हम इस मंत्रालय में आए, तब हमारी जानकारी में आया कि AESI में 10 और प्रोविडेंट फंड में 20 से ऊपर का रिकॉर्ड में हम रखते हैं, इसके नीचे का रिकॉर्ड नहीं है। हमने अब लेबर ब्यूरो से इसकी स्टडी करने को कहा है कि एक सही जानकारी, जैसा अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, वे तथ्य हम लोगों के सामने आए। मुझे लगता है कि इस संबंध में जून-जुलाई तक एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी। जब जून-जुलाई, 2018 तक यह रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम सदन को कुछ बताने की स्थिति में होंगे।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रालय ने 2015 में नेशनल कैरियर पोर्टल सर्विस की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत करीब-करीब 4 करोड़ जॉब सीकर्स रजिस्टर हुए हैं और लगभग 14.5 लाख इम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 920 जॉब फेयर्स भी लगाए और 679 Employment Exchanges को भी आवश्यक निधियां जारी कीं कि आप इस

हिसाब से काम करें, जिनको NCS पोर्टल से भी जोड़ा गया। हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास मॉडल कैरियर सेंटर्स को भी आधुनिक बनाने का काम किया। साथियो, ये सारे काम पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों में हुए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, we have to dispose this of before 5 p.m. Therefore, you cannot take more time. There is the reply and, then, if it goes for voting, it would need time.

श्री संतोष कुमार गंगवार : जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री इस ओर कितनी चिंता कर रहे हैं। अगस्त, 2016 से "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" की शुरुआत हम लोगों के द्वारा की गई और इसके अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए employer द्वारा दिए जाने वाले प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो कि 12 परसेंट है, उसमें 8.33 परसेंट स्कीम के तहत सरकार वहन कर रही है। Apparel and garment क्षेत्र में ये सारी की सारी 12 परसेंट की राशि सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 13 लाख नए कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा चुका है।

महोदय, रोजगार के अवसरों का सही-सही आकलन करने के लिए पिछले वर्षों से चर्चा चल रही है। डेटा कलेक्शन और गैदर करने का तरीका भी है। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, जैसा मैं अभी कह रहा था कि 20 से अधिक का डेटा कलेक्शन हो पाता है, उससे कम का नहीं हो पाता है।

(3डी/एनकेआर-आरएसएस पर जारी)

NKR-RSS/3D/4.40

श्री संतोष कुमार गंगवार (क्रमागत) : हमें जो व्यवस्था मिली है, उसमें 10 से कम व्यक्तियों का data available नहीं है। Labour Bureau भी 10 से कम व्यक्तियों का data collect नहीं कर पा रहा है। ऐसा हमने नहीं किया है, बल्कि पहले की व्यवस्था से हमें ये सारी बातें मिली हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि data collection में आ रही समस्याओं का सरकार ने संज्ञान लिया है और नीति आयोग के Vice-Chairman की अध्यक्षता में गठित Task Force ने सांख्यिकी मंत्रालय को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वे 10 से कम लोगों को रोज़गार देने वाले संस्थानों को भी आने वाले समय में इसमें शामिल करे, ताकि सही स्थिति हम लोगों के सामने आ सके।

इसके अतिरिक्त हमारे मंत्रालय ने Labour Bureau द्वारा तैयार किए जाने वाले रोज़गार-बेरोज़गारी से संबंधित सभी आंकड़ों में 10 से कम लोगों को employ करने वाले संस्थानों को भी शामिल करने की व्यवस्था शुरू की है। आगामी अप्रैल माह से हम इसे शुरू कर रहे हैं।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मनरेगा जैसे नेशनल प्रोग्राम हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि और उसके फलस्वरूप सृजित mandays की गंभीरता को हमने समझा है। इस मद में वर्ष 2014-15 में 32,477 करोड़ रुपए की धनराशि थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 48,387 करोड़ रुपए हो गई है। इसके फलस्वरूप सृजित mandays, जो पहले 16,576 लाख दिवस थे, वे अब बढ़कर 23,576 लाख दिवस हो गए हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अगर आपने इस बिल को आज dispose of करना है तो उत्तर को ज्यादा लंबा मत कीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। ..(व्यवधान).. I will take only five minutes, Sir.

श्री उपसभापति : Otherwise यह बिल carry over करेगा। ..(व्यवधान).. मुझे problem नहीं है।..(व्यवधान).. I am asking you a question. I have no problem.

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मनरेगा में सारी धनराशि ...(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Because at 5.00 p.m., the time is over. Beyond that, we cannot wait. ..(व्यवधान)..

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार रोज़गार सृजन के प्रति बहुत सजग है और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम हिन्दुस्तान में काम कर रहे हैं, ताकि देश को दिशा मिले और यह देश दुनिया में अच्छी दिशा में आगे बढ़े। सब इसे मान रहे हैं। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रखा, सरकार इस विषय में पूरी तरह से सतत, प्रयत्नशील और चिंतित है। इस सरकार के सारे प्रोग्राम न केवल देश में आर्थिक प्रगति और खुशहाली लेकर आयेंगे। देश में सभी को रोज़गार के अवसर मिलें, यह हमारी चिंता की बात है।

मैं अधिक न बोलते हुए, यही कहूंगा कि इस संदर्भ में माननीय सदस्य मुझे जो सुझाव देंगे, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। मैं पूरे सदन और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद से आग्रह करता हूं कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और वे हमें जो सुझाव देंगे, हम उसके अनुसार आगे बढ़कर काम करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh, do you want a clarification?

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, Sir. I want a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your clarification?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Bill is very, very important, very significant. But, I just seek a clarification from you. Sir, if you look at the Financial Memorandum of this Bill, it says, "A recurring expenditure of Rs. 5,000 crores per annum, and a non-recurring expenditure of Rs. 1,000 crores per annum." So, the money is going to be spent. On the 5th of August, 2016, voting on a Private Members' Bill presented by my colleague, Dr. K.V.P. Ramachandra Rao, was prevented on the grounds that that was a Money Bill. There was no expenditure. But, it was classified as a Money Bill, and it was not taken up. So, this Bill says, "Rs. 5,000 crores per year, and one-time expenditure of Rs. 1,000 crores per year." It is a classic Money Bill. So,

I seek clarity from you. How did Dr. K.V.P. Ramachandra Rao's Bill get classified as a Money Bill, and this Bill is not a Money Bill, when money is mentioned in the Bill? I want to ask this thing from you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How did the previous Bill was classified as Money Bill? That was not decided by me. That was decided by the hon. Speaker. So, in order to find a reply to that question, you contest the next Lok Sabha election, go there, and ask this question. It is a very important point. He has raised a very valid question. So, I will reply to that. But, with regard to this Bill, the hon. Speaker has not reported that it is a Money Bill, and I have no evidence before me to say that it is a Money Bill... (Interruptions)...

(Contd. by 3e/SSS)

SSS-DS/3E/4.45

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Please sit down. I am not the authority to decide whether it is a Money Bill or not. Therefore, I am asking you to reply.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I want to ask...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete and then you can ask.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I need to clarify.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the reply come. What are you clarifying? Let the reply come. The Minister is the only speaker here. He is the person to clarify. Please sit down. निषाद जी, आप पाँच मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यह देश के नौजवानों से जुड़ा हुआ सवाल है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैंने इसको लाना इसलिए उचित समझा कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। मेरे इस निजी विधेयक पर माननीय सदस्य आनंद भास्कर रापोलू जी, महेश पोद्दार जी, विजिला सत्यानंत जी, आलोक तिवारी जी, डा. अनिल कुमार साहनी जी, डी. राजा जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, डा. विकास महात्मे जी, नीरज शेखर जी और रामकुमार वर्मा जी ने अपने विचार रखे। इन्होंने हमारा समर्थन किया, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं।

माननीय उपसभापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके डेटा नहीं हैं, इनके आँकड़े नहीं हैं। हमने अपनी प्रस्तावना में जो-जो बातें रखी थीं, उनमें से एक का भी जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए हैं। अगर हम सीधे-सीधे इनके घोषणा-पत्र के ऊपर ही इनसे सवाल पूछें कि इन्होंने जो 2 करोड़ लोगों को प्रति

वर्ष नौकरी देने के लिए कहा था, तो उस हिसाब से तीन साल में वह आँकड़ा 6 करोड़ होता है, तो 6 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी? इसका जवाब इनके पास से नहीं आया है।

मान्यवर, इन्होंने "स्किल इंडिया" तथा अन्य अलग-अलग स्कीमों के बारे में बताया। इन्होंने जो "स्टैंड-अप इंडिया" की बात रखी, वह मैं नहीं समझ पाया कि यह "स्टैंड-अप इंडिया" क्या है। "स्टैंड-अप इंडिया" को पूरे देश के लोग नहीं जानते होंगे। इन्होंने जितनी भी योजनाएँ चलाई हैं, वे सब हवा-हवाई हैं, वे जनता के हित की नहीं हैं और केवल कागजों पर चल रही हैं। आज देश में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और माइनॉरिटी के लोगों का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि इस देश में जिनकी आबादी 85 प्रतिशत है, वे केवल 50 परसेंट में ही आरक्षण पाएँगे और जो लोग 15 परसेंट हैं, उनको 50 परसेंट का फायदा मिलेगा।

मान्यवर, पूरे देश में केन्द्र की सेवाओं और स्टेट की सेवाओं की नौकरियों में कोई भी बैकलॉग न तो 27 परसेंट आरक्षण और न ही एससी-एसटी के लिए 21 परसेंट के आरक्षण के साथ भरा जा रहा है। केवल दिखावा किया जा रहा है। हम लोग ओबीसी कमिटी में हैं, हम पूरे देश में जाते हैं। यह सब जगह कहीं पर 2 परसेंट, कहीं पर 4 परसेंट और कहीं पर 10 परसेंट है। इस तरह से, पूरे देश में जो नौजवान है, वह पूरी तरह से बरबाद हो चुका है।

मान्यवर, आज देश में तमाम सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियाँ चल रही हैं। निजी क्षेत्र में तमाम कंपनियाँ चल रही हैं और वे अपने तमाम उत्पाद बेच रही हैं। वे

गवर्नमेंट से जमीन लेती हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेती हैं और बैंकों से लोन लेती हैं। विजय माल्या जी तो बैंकों से लोन लेकर भाग गए और आज पूरे देश में लोगों के बीच यह चर्चा चल रही है कि लगता है, बैंकों का कर्ज दूर करने के लिए बैंकों की गारंटी खत्म की जा रही है और जो आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा, उसमें बैंक की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर कोई बैंक लुट गया, तो कह देंगे कि पब्लिक का पैसा लुट गया। मान्यवर, हर कंपनी के पास सीएसआर की निधि होती है। सीएसआर निधि देश के उन क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिए, जहाँ वास्तव में लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है, लेकिन आज हमें देखने को कुछ और मिल रहा है।

(3एफ/एमसीएम पर जारी)

MCM-NBR/3F/4.50

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जो विकसित शहर हैं, जहां विकसित एरिया है, वहां पर सारी कम्पनियां पैसा खर्च कर रही हैं। मान्यवर, इन्होंने जो स्किल इंडिया का जिक्र किया, मेरी समझ में नहीं आया जिसे मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि इस देश में "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" में जो पूरे देश में सेंटर खोले हैं, उनके फ्रेंचाइज़र कौन-कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और किन-किन को फ्रेंचाइज़ी दी है? इस देश में यही बहुत बड़ी समस्या है। चाहे Paytm और चाहे स्किल इंडिया की फ्रेंचाइज़ी हो, यह सब बड़े-बड़े उद्योगपति ही ले रहे हैं। ये ही गांवों में छोटे लोगों को देकर उनका शोषण कर रहे हैं। .....(समय की घंटी).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में व्यवस्था है कि देश के लोगों को रोजगार देना चाहिए। आज हमारे देश के लोग घास की रोटी खा रहे हैं।

श्री उपसभापति : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। मान्यवर, भूख और बेकारी के कारण अपने बच्चों को बेच रहे हैं। देश में नौकरियां खत्म हो रही हैं, आउटसोर्सिंग की ओर पूरे देश को यह सरकार ले जा रही है और जो सरकारी नौकरियां हैं उनको खत्म करने की योजना बनाई जा रही है।

श्री उपसभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हम लोग सभा के अंदर हैं। यहां जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको केवल वर्किंग ऑवर का ही पैसा दिया जाता है, छुट्टियों का पैसा नहीं दिया जाता। जब सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरे 365 दिन का पैसा दिया जाता है, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। ये जितने संविदा कर्मी हैं, पहले जंतर-मंतर पर धरना देते थे। मान्यवर, यह सरकार तो लोगों के संवैधानिक अधिकार भी खत्म कर रही है क्योंकि अब लोगों को जंतर-मंतर पर धरना देने से रोक दिया गया है। अब लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You have taken more time. That is all. Sit down. Your time is over. Sit down. Mr. Nishad, look at the clock.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : उन्होंने जो नियंत्रण मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कामगारों के लिए 8 घंटे का नियम बना हुआ है। मुझे पूरे देश की जानकारी है कि महिलाओं से, बच्चों से 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जा रहा है।....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please sit down. You are using this time for making a speech!

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं यही कहूंगा कि.....(व्यवधान).... (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nishadji, please sit down.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, ...(व्यवधान)..... मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको आगे बढ़ा दें और अगले सत्र में जब यह आएगा.....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more. Stop now. You are not replying to the debate. You are only making a speech. Nothing more will go on record. Sit down. As a mover, you should reply to the points raised here. You are making another speech.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अभी आदरणीया छाया जी ने कहा था कि जो मजदूर मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, उन पर भी जी0एस0टी0 पड़ रहा है। सरकार इस बात को साफ तो कर दे कि मजदूरों पर भी जी0एस0टी0 कैसे पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I requested the hon. Labour Minister to extend ESI medical facilities to the families of weavers, tailors and artisan classes. But, he has not responded to this very specific point. If it is extended, it will alleviate them from a lot of distress and social tension. I am expecting a reply from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can write to him.

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे जब चाहे मेरे पास आकर बैठें। हमारी सरकार को साढ़े तीन वर्ष हुए हैं और सब को परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जो राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव हो रहे हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं।.....(व्यवधान).....

श्री उपसभापति : ठीक है, आप भी बैठिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा मानना है कि.....(व्यवधान)

श्री उपसभापति : मंत्री जी, बैठिए। I have to dispose of the Bill before 5.00 p.m. Mr. Minister, I have to dispose it of before 5.00 p.m. Why don't you understand the problem?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा निषाद जी से आग्रह है कि वे आकर बैठें और जो सुझाव देंगे.....(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, पांच बजे तक खत्म करना है, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं।.....(व्यवधान).... The Minister is not understanding the problem.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाए।....(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You need not speak now. I am only asking the question. सुनिए,.....(व्यवधान).... I only wants to know whether you are withdrawing the Bill.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैं विधेयक को वापस नहीं ले रहा हूं, मैं अपने विधेयक पर कायम हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर वोटिंग कराई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not withdrawing? (3G/SC पर आगे)

USY/3G/4.55

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : नहीं, सर। देश के नौजवान जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के लिए कितनी चिंतित है? जो उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, वे दे रहे हैं या नहीं दे रहे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. If you are not withdrawing, I will have to move for voting. That is the only way out left. And, this being a Constitution (Amendment) Bill, I will have to go for a division. Mr. Nishad, you may think once again. Should we unnecessarily go for voting?

श्री नारायण लाल पंचारिया : सर, कोरम नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, quorum is there. ...(Interruptions)... There is quorum. ...(Interruptions)... There is quorum. ...(Interruptions)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, चूंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। जब देश में नौजवानों से वोट मांगने जाते हैं, उस समय पार्टियां अरबों-खरबों रुपए खर्च करती हैं। मैंने केवल उसमें यह रखा है कि पांच हजार करोड़ रुपए ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time to make speeches. You only tell whether you are withdrawing or not. ...(Interruptions)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं और इस पर वोटिंग की मांग करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, he has not withdrawn. He is insisting on voting. I shall now put the Motion regarding the consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2016 (insertion of new article 16A) to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The House divided.

(Followed by 3h – PK)